



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 20.04.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति-कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
6.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डॉ० रजीउर रहमान	सदस्य
10.	डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
11.	डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
14.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों एवं प्रति-कुलपति का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की-

बिन्दु संख्या	कार्यसूची एवं निर्णय
1.	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 के बिन्दु संख्या (3) पर शोध पंजीकरण के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पर प्रो० एस०के० दीक्षित द्वारा दिनांक 04.04.2018 को दिये गये प्रत्यावेदन पर निम्न संशोधन के साथ कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।</p> <p>"विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध में रिक्त सीटों पर नेट/जे०आर०एफ० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश के आधार पर किया जायेगा" के स्थान पर "विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध में रिक्त सीटों पर प्रवेश कार्य वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश, 2009 के आधार पर किया जायेगा" करने का कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया।</p>
2.	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
	<p>कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 के बिन्दु संख्या (3) पर शोध पंजीकरण के संबंध में लिए गये निर्णय पर प्रो० एस०के० दीक्षित द्वारा दिनांक 04.04.2018 को दिये गये प्रत्यावेदन पर</p>

3.	<p>विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि इसके सम्बन्ध में बिन्दु संख्या (1) पर विचार किया जा चुका है इसलिए पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
4.	<p>कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-532/सत्तर-4-2018, दिनांक 16 मार्च, 2018, जो विश्वविद्यालय में समूह ग के कार्मिकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने शासन के उपर्युक्त पत्र पर विचार करते निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपरिषद में निहित है। इसलिए समूह ग में रिक्त कार्मिकों की सूची शासन को भेजते हुए यह अनुरोध किया जाय कि वह विश्वविद्यालय में समूह ग में रिक्त पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करें।</p>
5.	<p>कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ संख्या-432/सत्तर-4-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ संख्या-432/सत्तर-4-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति बनाने के लिए कार्यपरिषद् ने कुलपति जी को अधिकृत किया।</p>
6.	<p>कार्यपरिषद् ने डॉ० यशवन्त सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 एवं उस पर प्राप्त विधिक राय पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ० यशवन्त सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 के आदेश पर लिफाफा खोलने का निर्णय लिया एवं चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
7.	<p>कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने सत्र 2018-19 हेतु प्रस्तावित बजट को पारित किया एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
8.	<p>कार्यपरिषद् ने प्रो० सुष्मिता भट्टाचार्या, आचार्य, अंग्रेजी विभाग द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 04 अगस्त, 2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने प्रो० सुष्मिता भट्टाचार्या, आचार्य, अंग्रेजी विभाग की दिनांक 04 अगस्त, 2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग को स्वीकार करते शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया।</p>
9.	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1097/सा0प्र0/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० राजेन्द्र सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप प्रो० हरिशरण, रक्षा एवं सत्रातजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 20.03.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुये उसका अनुमोदन किया।</p>

8

10.		कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया—
	1.	कार्यालय आदेश संख्या 2238/सा0प्र0/2018 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 09.04.2018 के अनुपालन में डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता-कला संकाय एवं आचार्य, मध्य0 कालीन इतिहास विभाग का दिनांक — 19.04.2018 के अपरान्त से 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त अधिष्ठाता-कला संकाय के पद पर कला संकाय के वरिष्ठतम आचार्य डॉ0 एस0 के0 दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 20.04.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए अधिष्ठाता-कला संकाय पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
	2.	कार्यालय आदेश संख्या 2239/सा0प्र0/2018 दिनांक 12.04.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्रीमती हर्षिता रघुवंशी, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, भारत को सुप्रीम कोर्ट में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते उसका अनुमोदन किया।
	3.	कार्यालय आदेश संख्या 2251/सा0प्र0/2018 दिनांक 13.04.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन श्री सचिन मिश्र, कनिष्ठ सहायक, विधि विभाग को दिनांक — 02.04.2018 से दिनांक 01.04.2020 तक के लिए (असाधारण) अवैतनिक अवकाश स्वीकृति से सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते उसका अनुमोदन किया।

पूरक कार्यसूची :

1.	बैठक में प्रस्तुत पूरक कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 29 अप्रैल, 2018 को अपरान्त 03.00 बजे कार्यपरिषद् की बैठक आहूत की जाय, जिसमें शिक्षक संवर्ग के रिक्त विभिन्न पदों पर दिनांक 22 मार्च, 2018 से दिनांक : 26 अप्रैल, 2018 तक हुई चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोले जाय।
2.	कार्य परिषद् ने लेखा विभाग में कार्यरत श्री रामजी सिंह, प्रधान सहायक जो दिनांक 30.04.2018 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं। सेवा निवृत्त होने के पश्चात आगामी एक वर्ष के लिए लेखा विभाग में अनुमन्य मानदेय के आधार पर कार्य लिये जाने हेतु वित्त अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री रामजी सिंह, प्रधान सहायक जो दिनांक 30.04.2018 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं, सेवा निवृत्त होने के पश्चात अनुमन्य मानदेय पर आगामी एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक कार्य लिये जाने हेतु वित्त अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया।
3.	कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ सिंह अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति प्राप्त छः (6) कर्मचारियों को 10 वर्षीय एवं 16 वर्षीय ए0सी0पी0 की सुविधा प्राप्त करने हेतु विचार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।
4.	कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को 300 दिन अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 300 दिन अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी द्वारा अवगत

	कराया गया कि प्रकरण शासन में अनुमति हेतु कार्यवाही चल रही है। अनुमति प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5.	कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकलेम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु श्री महेन्द्र नाथ सिंह अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकलेम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्त अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, सदस्य – कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव


कुलपति